



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-09.05.2024

विषय:- बैंकों में ग्राहकों से हेराफेरी कर धोखाधड़ी द्वारा पैसा चोरी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, थाना सारनाथ व एस0ओ0जी0 कमिश्नरेट वाराणसी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 3 अदद मोबाइल, 02 अदद मोटरसाइकिल व 1,20,000/- रू0 नकद बरामद ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के धोखाधड़ी/चोरी/लूट/नकबजनी की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य व मुखबिर की सहायता से थाना सारनाथ व एस0ओ0जी0 की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 1. मु0अ0सं0-195/2024 धारा 379/420/411 भा0द0वि0 थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी, 2. मु0अ0सं0 263/24 धारा 379/420/411 भा0द0वि0 थाना चौबेपुर कमि0 वाराणसी व 3. मु0अ0सं0 108/24 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर से संबंधित वांछित शातिर अभियुक्तगण 1- जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व. विशुन देव पांडेय निवासी बिहटा गोरया स्थाना थाना बिहटा जनपद पटना (बिहार) 2- राजेश्वर तिवारी पुत्र स्व. अवध तिवारी निवासी बिहटा गोरया स्थाना थाना बिहटा जनपद पटना (बिहार) 3- रवि मिश्रा पुत्र स्व. उमेश मिश्रा निवासी बख्तियारपुर थाना बख्तियारपुर जनपद पटना (बिहार) 4- हरेन्द्र तिवारी पुत्र स्व. गुलाब तिवारी निवासी बिहटा गोरया स्थाना थाना बिहटा जनपद पटना (बिहार) 5- रंजन मिश्रा पुत्र स्व. जुदागी मिश्रा निवासी बिहटा गोरया स्थाना थाना बिहटा जनपद पटना (बिहार) को आज दिनांक-09.05.2024 को समय करीब 15.30 बजे फरीदपुर अंडरपास थाना सारनाथ, वाराणसी के पास गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 03 अदद मोबाइल, 02 अदद मोटरसाइकिल व अलग-अलग घटनाओं से प्राप्त रूपयों में से खर्च के बाद बचे शेष 1,20,000/- रुपये नकद बरामद किया गया जिसमें उपरोक्त तीनों घटनाओं की धनराशि शत-प्रतिशत बरामद की गयी है। उक्त गिरफ्तारी/बरादमगी के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन महोदय द्वारा 20000/- रू0 नकद पुरस्कार की घोषणा की गयी।

अपराध का तरीका/ पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण का एक गिरोह है जो मिलकर बिहार व उत्तर प्रदेश आद राज्यों में विभिन्न शहरों में बैंकों में जाकर ग्राहकों से हेराफेरी करके धोखाधड़ी के माध्यम से पैसे चोरी करके घटना को अन्जाम देते हैं। अभियुक्तगण पूछने पर बताये कि हम लोग बैंक में जाकर अधिक पैसे निकालने वालों

को टारगेट करते हैं तथा उनके साथ धोखाधड़ी करके उनके पैसे फटे व नकली होने का कहकर उन्हें अपनी बातों में लेकर उनके पैसे को अपने पास रखे पैसे से अदला-बदली कर चोरी कर लेते हैं। फिर वहां से फरार हो जाते हैं। यह काम हम लोग कई दिनों से बिहार व उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। दिनांक 07.05.2024 को बैंक आफ बडौदा लेहूपुर सारनाथ, चौबेपुर, गाजीपुर में भी हम लोगों ने बैंको में पैसा निकालने वालो से हेराफेरी की थी तथा आज भागने वाले थे कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिये गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1- जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व. विशुन देव पांडेय निवासी बिहटा गोरया स्थाना थाना बिहटा जनपद पटना (बिहार) उम्र करीब 40 वर्ष।
- 2- राजेश्वर तिवारी पुत्र स्व. अवध तिवारी निवासी बिहटा गोरया स्थाना थाना बिहटा जनपद पटना (बिहार) उम्र करीब 20 वर्ष।
- 3- रवि मिश्रा पुत्र स्व. उमेश मिश्रा निवासी बख्तियारपुर थाना बख्तियारपुर जनपद पटना (बिहार) उम्र करीब 32वर्ष।
- 4- हेरेन्द्र तिवारी पुत्र स्व. गुलाब तिवारी निवासी बिहटा गोरया स्थाना थाना बिहटा जनपद पटना (बिहार) उम्र करीब 50 वर्ष।
- 5- रंजन मिश्रा पुत्र स्व. जुदागी मिश्रा निवासी बिहटा गोरया स्थाना थाना बिहटा जनपद पटना (बिहार) उम्र करीब 35 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- फरीदपुर अंडरपास थाना सारनाथ, वाराणसी, दिनांक-09.05.24 समय करीब 15.30 बजे।

आपराधिक इतिहास (मुकदमा उपरोक्त के अतिरिक्त)-

अभियुक्त जितेन्द्र कुमार पुत्र स्व. विशुन देव का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 0109/23 धारा 34,380,411,457 भा0द0वि0 थाना कोतवाली आजमगढ
2. मु0अ0सं0 136/23 धारा 34,380,411,457 भा0द0वि0 थाना कोतवाली आजमगढ
3. मु0अ0सं0 192/23 धारा 406,411,420 भा0द0वि0 थाना कोतवाली आजमगढ
4. मु0अ0सं0 195/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ
5. मु0अ0सं0 446/18 धारा 379,411,420 भा0द0वि0 थाना कोतवाली बलिया
6. मु0अ0सं0 447/18 धारा 379,411,420 भा0द0वि0 थाना कोतवाली बलिया
7. मु0अ0सं0 28/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बेरिया बलिया
8. मु0अ0सं0 56/23 406,420 भा0द0वि0 थाना चिरैयाकोट मऊ
9. मु0अ0सं0 177/16 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना अदलहाट मिर्जापुर
10. मु0अ0सं0 263/24 धारा 379/420/411 भा0द0वि0 थाना चौबेपुर कमि0 वाराणसी
11. मु0अ0सं0 108/24 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर

अभियुक्त रवि मिश्रा पुत्र स्व. उमेश मिश्रा के विरुद्ध

1. मु0अ0सं0 0109/23 धारा 34,380,411,457 भा0द0वि0 थाना कोतवाली आजमगढ
2. मु0अ0सं0 136/23 धारा 34,380,411,457 भा0द0वि0 थाना कोतवाली आजमगढ
3. मु0अ0सं0 192/23 धारा 406,411,420 भा0द0वि0 थाना कोतवाली आजमगढ
4. मु0अ0सं0 56/23 406,420 भा0द0वि0 थाना चिरैयाकोट मऊ
5. मु0अ0सं0 263/24 धारा 379/420/411 भा0द0वि0 थाना चौबेपुर कमि0 वाराणसी
6. मु0अ0सं0 108/24 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर

अभियुक्त रंजन मिश्रा पुत्र स्व. जुदागी मिश्रा

1. मु0अ0सं0 446/18 धारा 379,411,420 भा0द0वि0 थाना कोतवाली बलिया
2. मु0अ0सं0 447/18 धारा 379,411,420 भा0द0वि0 थाना कोतवाली बलिया
3. मु0अ0सं0 263/24 धारा 379/420/411 भा0द0वि0 थाना चौबेपुर कमि0 वाराणसी
4. मु0अ0सं0 108/24 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर

बरामदगी का विवरण-

- 1- 03 अदद मोबाइल
- 2- 02 अदद मोटरसाइकिल
- 3- अलग-अलग घटनाओं से प्राप्त रूपयों में से खर्च के बाद बचे शेष 1,20,000/- रुपये नकद
- 4-

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

थाना सारनाथ पुलिस टीम	एस0ओ0जी0 पुलिस टीम
1. प्र0नि0 उदय प्रताप सिंह	1. उ0नि0 मनीष कुमार मिश्र (एसओजी प्रभारी)
2. उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव	2. उ0नि0 विनोद विश्वकर्मा
3. उ0नि0 महेश मिश्रा	3. उ0नि0 अरुण प्रताप सिंह
4. उ0नि0 प्रदीप सिंह	4. उ0नि0 गौरव कुमार सिंह
5. हे0का0 विनोद कुमा	5. हे0का0 विजय शंकर राय
6. का0 सौरभ तिवारी	6. हे0का0 ब्रह्मदेव सिंह
	7. हे0का0 चन्द्रभान यादव
	8. हे0का0 प्रमोद सिंह
	9. का0 रमाशंकर यादव
	10. का0 पवन तिवारी
	11. का0 मयंक त्रिपाठी
	12. का0 मनीष बघेल
	13. हे0का0चालक उमेश सिंह

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।

